भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3532
13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य बजट और व्यय

3532. एडवोकेट चंद्र शेखरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान स्वास्थ्य बजट और वास्तविक व्यय के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में अनुपात कितना है;
(ख) देश के विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के लक्ष्यों और उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और डॉक्टरों और नर्सों के कुल स्वीकृत और रिक्त पदों की स्थिति क्या है;
(घ) देश में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए बजटीय आवंटन और वास्तविक व्यय कितना है; और
(ङ) विगत दस वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उक्त लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): पिछले दस वर्षों के दौरान स्वास्थ्य बजट और वास्तविक व्यय से संबंधित प्रावधानों का विवरण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में इसका अनुपात निम्नानुसार है:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(निवल करोड़ों रुपये में)

वर्ष	ब.आ.	वास्तविक	भारत की कुल जीडीपी	जीडीपी का प्रतिशत ब.आ.	जीडीपी का % व्यय
1	2	3	4	5	6
2014-15	35163.00	30626.39	12467959.29	0.28	0.25
2015-16	31050.00	33121.42	13771873.88	0.23	0.24
2016-17	37061.55	37671.30	15391669.01	0.24	0.24
2017-18	47352.51	51381.89	17090042.36	0.28	0.30

(निवल करोड़ों रुपये में)

वर्ष	ब.आ.	वास्तविक	भारत की कुल जीडीपी	जीडीपी का प्रतिशत ब.आ.	जीडीपी का % व्यय
2018-19	52800.00	52953.94	18899668.44	0.28	0.28
2019-20	62659.12	62397.08	20103592.86	0.31	0.31
2020-21	65011.80	77569.33	19854096.01	0.33	0.39
2021-22	71268.77	81779.85	23597398.53	0.30	0.35
2022-23	83000.00	73308.30	26890472.57^	0.31	0.27
2023-24	86175.00	80292.01	30122955.90#	0.29	0.27
2024-25	87656.90	87300.17	33068145.37@	0.27	0.26
2025-26*	95957.87	80518.79			
2026-27	101709.21				

*दिनांक 9.03.2026 तक के वास्तविक आंकड़े (अनंतिम), ^ - अंतिम अनुमान, # पहला संशोधित अनुमान, @ अनंतिम अनुमान

स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अधीन है और जीडीपी से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक डोमेन अर्थात् https://esankhyiki.mospi.gov.in/macroindicators?product=nas पर उपलब्ध हैं।

(ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत दिसंबर, 2025 तक निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त प्रगति का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन भी करता है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण तंत्र पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है।

(ग): हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक डाटा पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है। देश भर में सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की कुल संख्या और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डॉक्टरों और नर्सों के स्वीकृत और रिक्त पदों की स्थिति का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

केंद्र सरकार के अस्पतालों जैसे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल (वीएमएमसी और एसजेएच), अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (एबीवीआईएमएस और डॉ. आरएमएलएच), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल (एलएचएमसी और संबद्ध अस्पताल) तथा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी) के संबंध में, डॉक्टरों और नर्सों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	चिकित्सक			नर्सिंग कार्मिक		
		स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1.	वीएमएमसी एवं	632	513	119	2759	2342	417

	एसजेएच						
2.	एबीवीआईएमएस एवं डॉ. आरएमएलएच	453	351	102	1o559	1459	100
3.	एलएचएमसी एवं संबद्ध अस्पताल	386	298	88	1181	959	222
4.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	46	30	16	41	05	36

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग देश में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पूंजी-प्रधान योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**योजना/संस्थाएं का नाम**	**ब.आ. 2023-24**	**वास्तविक 31.03.2024**	**ब.आ. 2024-25**	**वास्तविक 31.03.2025**	**ब.आ. 2025-26**	**वास्तविक 10.03.2026**
1	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	3365.00	1390.03	2200.00	1680.52	2200.00	1351.76
2	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) (सीएस)	645.86	169.55	556.57	279.20	558.45	382.92
3	आरसीएच एवं स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल	22094.57	24851.20	28783.00	31685.06	30009.92	25064.50
4	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन	**6500.00**	**1178.78**	**1274.79**	**442.00**	**1675.00**	**1010.71**
4.1	नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में वृद्धि - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से सहायता	6500.00	928.78	1054.79	294.17	1475.00	978.77
4.2	नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना - मेडिकल कॉलेजों के साथ ही नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना	0.00	250.00	220.00	147.83	200.00	31.94
5	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	4200.00	1805.77	3200.00	2086.34	4200.00	1862.79

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/संस्थाएं का नाम	ब.आ. 2023-24	वास्तविक 31.03.2024	ब.आ. 2024-25	वास्तविक 31.03.2025	ब.आ. 2025-26	वास्तविक 10.03.2026
	(पीएमएबीएचआईएम) (सीएसएस)						
	कुल	**36805.43**	**29395.34**	**36014.36**	**36173.12**	**38643.37**	**29672.68**

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के तहत, परिकल्पित सभी 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 137 मेडिकल कॉलेज कार्यशील हो चुके हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती/विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। अब तक, इस योजना के तहत 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 18 एआईएमएस शिक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान, आईपीडी/ओपीडी सुविधाएं, आपातकालीन एवं आघात विभाग, नैदानिक सुविधाकेंद्रों, विभिन्न विशेषज्ञता और सुपर-विशेषज्ञता विभाग, अमृत फार्मेसी, जन औषधि केंद्र आदि के साथ कार्यरत हैं। शेष 4 एआईएमएस निर्माण/संचालन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, उपर्युक्त पैरा (ग) में उल्लिखित 'द हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया' (एचडीआई) (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन) रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य केंद्रों की पूरी जानकारी प्रदान करती है।

*****

अनुलग्नक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, **2017** के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य

एनएचपी 2017 में निर्धारित लक्ष्य	प्रस्थिति
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2025 तक 67.5 से बढ़ाकर 70 करना।	भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अनुमान वर्ष 2019-23 की अवधि के लिए 70.3 वर्ष लगाया गया है (नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2019-23)।
राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को घटाकर 2.1 करना।	2.0 [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5)]
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 23 करना और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 100 करना।	पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) - प्रति हजार पर 29 (एसआरएस 2023) मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) - प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 88 (एसआरएस 2021-23)
शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2019 तक घटाकर 28 करना।	25 प्रति हजार (एसआरएस 2023)
नवजात मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 16 और मृत जन्म दर को एकल अंक तक लाना।	19 प्रति हजार (एसआरएस 2023)
वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक काला-अजार और वर्ष 2017 तक स्थानिक क्षेत्रों में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन की स्थिति प्राप्त करना और उसे बनाए रखना।	काला-अज़ार - वर्ष 2023 के अंत तक सभी 633 प्रभावित ब्लॉकों में उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। कुष्ठ रोग - भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन की स्थिति हासिल कर ली है और इसे बरकरार रखा है, अर्थात् वर्ष 2005 से अब तक प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्याप्ति दर (पीआर) 1 से कम रही है।
टीबी के नए थूक परीक्षण पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की उपचार दर प्राप्त करना और उसे बनाए रखना तथा नए मामलों की घटनाओं को कम करना, ताकि वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की स्थिति तक पहुंचा जा सके।	टीबी की संक्रमण दर में 21% की गिरावट आई है (2015 में 237/लाख से घटकर 2024 में 187/लाख रह गई)। भारत में टीबी उपचार कवरेज पिछले नौ वर्षों में 39% बढ़ा है, जो वर्ष 2015 में 53% से बढ़कर वर्ष 2024 में 92% हो गया है।
वर्ष 2025 तक अंधत्व की व्यापकता को 0.25/1000 तक कम करना और वर्तमान स्तर से रोग भार को एक तिहाई तक कम करना।	अंधापन की व्यापकता वर्ष 2010 में 1% से घटकर 2019 में 0.36% रह गई है।
वर्ष 2025 तक प्रसवपूर्व परिचर्या कवरेज 90% से ऊपर और प्रसव के समय कुशल उपस्थिति 90% से ऊपर बनाए रखी जाएगी।	प्रसवपूर्व देखभाल कवरेज: 95.4% [स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)] कुशल प्रसव: 98.8% (एचएमआईएस)
वर्ष 2025 तक 90% से अधिक नवजात शिशुओं का एक वर्ष की आयु तक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना।	98% (वित्त वर्ष 2024-25)
वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन की 90% से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना।	> 90% (वित्त वर्ष 2024-25)
वर्ष 2020 तक तंबाकू के वर्तमान उपयोग में 15% और वर्ष 2025 तक 30% की सापेक्ष कमी लाना।	28.6% [वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस-2) 2016-17]
वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता में 40% की कमी लाना।	35.5% (एनएफएचएस-5)
सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करना।	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) 1.84% था। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2021-22)

******